# अनुदान संख्या 66 - अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय
# GRANT No. 66 – MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

| | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | अधिक व्यय + Excess + बचत- Saving - |
|---|---|---|---|---|
| | | | | (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees) |
| **राजस्वः** | **Revenue:** | | | |
| स्वीकृत- | Voted- | 2500,37,00 | 1905,96,86 | -594,40,14 |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | 587,70,98 |
| **पूंजीगतः** | **Capital:** | | | |
| स्वीकृत- | Voted- | 115,00,00 | 115,00,00 | .. |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | शून्य Nil |

***टीका और टिप्पणियां***

***Notes and comments***

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षो के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

| शीर्ष | Head | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| मुख्य शीर्ष "2225" अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण | Major Head "2225" Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes | | | | |
| मू. | O. | 20291.00 | 19985.03 | 19326.23 | -658.80 |
| पु. | R. | -305.97 | | | |
| मुख्य शीर्ष "2235" सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण | Major Head "2235" Social Security and Welfare | | | | |
| मू. | O. | 2976.00 | 362.00 | 362.64 | + 0.64 |
| पु. | R. | -2614.00 | | | |

| | | | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees) |
| मुख्य शीर्ष "2552" | Major Head "2552" | | | | | |
| उत्तर पूर्वी क्षेत्र | North Eastern Areas | | | | | |
| मू. | O. | 24850.00 | | .. | .. | .. |
| पु. | R. | -24850.00 | | | | |
| मुख्य शीर्ष "3601" | Major Head "3601" | | | | | |
| राज्य सरकारों को सहायता अनुदान | Grants-in-aid to State Governments | | | | | |
| मू. | O. | 198353.00 | | 169172.25 | 169163.54 | -8.71 |
| पु. | R. | -29180.75 | | | | |
| मुख्य शीर्ष "3602" | Major Head "3602" | | | | | |
| संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायता अनुदान | Grants-in-aid to Union Territory Governments | | | | | |
| मू. | O. | 2131.00 | | 490.62 | 490.61 | -0.01 |
| पु. | R. | -1640.38 | | | | |

(I) ₹27403.00 लाख का प्रावधान बत्तीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹26870.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of ₹ 27403.00 lakhs remained wholly unutilised under thirty two heads; of these ₹26870.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2235" - "समाज कल्याण - अन्य कार्यक्रम"-

(A) Major Head "2235" – "Social Welfare – Other Programmes" –

(क) "वक्फों को सहायता अनुदान" - ₹150.00 लाख केन्द्रीय वक्फ परिषद से प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण थे।

(a) "Grants-in-aid to Waqfs" – ₹150.00 lakhs – due to non-receipt of proposals from Central Waqf Council.

(ख) "अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास की स्कीम"- ₹1330.00 लाख संबंधित राज्य सरकारों से टिप्पणियों/

(b) "Scheme for Leadership Development of Minority Women" – ₹1330.00 lakhs – due to non-receipt of comments/views from the

विचारों और संगठनों से बेसलाइन सर्वे प्रोफाइल के प्राप्त न होने के कारण थे।

(ग) ''विदेश में अध्ययन के लिए शैक्षिक कर्जों पर ब्याज सहायता'' - ₹180.00 लाख योजना आयोग से अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2552'' -

(क) ''सामान्य - (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण) - स्वैच्छिक संगठनों को सहायता - अल्पसंख्यकों के लिए नि:शुल्क कोचिंग और सहबद्ध स्कीम'' - ₹150.00 लाख;

(ख) ''सामान्य - (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण) - अन्य व्यय''-

(i) ''अल्पसंख्यकों के लिए व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति'' - ₹1350.00 लाख;

(ii) ''अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम'' - ₹15430.00 लाख;

(iii) ''अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति'' - ₹4500.00 लाख;

(iv) ''अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति'' - ₹2650.00 लाख; और

(v) ''अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति'' - ₹300.00 लाख।

उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(vi) ''राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण''- ₹130.00 लाख वक्फ बोर्डों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

respective State Governments and Baseline Survey Profiles from the Organisations.

(c) "Interest Subsidy on Educational Loans for Overseas studies" – ₹180.00 lakhs – due to non-receipt of approval from the Planning Commission.

(B) Major Head "2552" –

(a) "General - (Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) –Aid to Voluntary Organisations– Free Coaching and Allied Scheme for Minorities" – ₹150.00 lakhs;

(b) "General - (Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) – Other Expenditure" –

(i) "Merit-cum-Means based Scholarship for professional and technical courses for Minorities" – ₹1350.00 lakhs;

(ii) "Multi Sectoral Development Programme for Minorities" – ₹15430.00 lakhs;

(iii) "Pre-Matric scholarship for Minorities" – ₹4500.00 lakhs;

(iv) "Post-Matric scholarship for Minorities" – ₹2650.00 lakhs; and

(v) "Maulana Azad National Fellowship for Minority Students" – ₹300.00 lakhs.

Provisions under the above six heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(vi) "Computerisation of records of State Waqf Boards" – ₹130.00 lakhs – due to non-receipt of proposals from Waqf Boards.

(vii) ''अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास की स्कीम''- ₹150.00 लाख संबंधित राज्य सरकारों से टिप्पणियों/विचारों और संगठनों से बेसलाइन सर्वे प्रोफाइल्स के प्राप्त न होने के कारण थे।

(vii) "Scheme for Leadership Development of Minority Women" – ₹150.00 lakhs – due to non-receipt of comments/views from the respective State Governments and Baseline Survey Profiles from organisations.

(गा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - सामान्य - (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण) - अन्य अनुदान - राज्य वक्फ बोर्डों का सुदृढ़ीकरण''- ₹550.00 लाख योजना आयोग से अनुमोदन प्राप्त न होने की वजह से स्कीम का कार्यान्वयन न होने के कारण थे।

(C) Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – General – (Welfare of Scheduled Castes, Schedules Tribes and Other Backward Classes) – Other Grants – Strengthening of the State Waqf Boards" – ₹550.00 lakhs – due to non-implementation of the scheme owing to non-receipt of approval from the Planning Commission.

(II) मुख्य शीर्ष ''2225'' - ''सामान्य - अन्य व्यय'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :-

(II) Under Major Head "2225" – "General – Other Expenditure" - savings occurred under the following heads:-

(का) ''अल्पसंख्यकों के लिए मीडिया अभियान'' - ₹167.51 लाख की बचत (₹1800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एनएफडीसी के प्रस्तावों का अनुमोदन न होने, फिल्म प्रचार निदेशालय से प्रस्ताव प्राप्त न होने और विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण हुई।

(A) "Media Campaign for Minorities" – saving of ₹167.51 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1800.00 lakhs) was due to non-approval of proposals of NFDC, non-receipt of proposals from Directorate of Film Publicity and non-utilisation of funds by Directorate of Advertising and Visual Publicity.

(खा) ''अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम'' - ₹979.51 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों से व्यवहार्य/पूरे प्रस्तावों के प्राप्त न होने और अंडमान व निकोबार संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्राधिकृत निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण हुई।

(B) "Multi Sectoral Development Programme for Minorities" – saving of ₹979.51 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to non-receipt of viable/complete proposals from Union Territories without legislature and non-utilisation of authorised funds by Union Territory of Andaman and Nicobar.

(III) मुख्य शीर्ष ''2235'' - ''सामाजिक कल्याण - अन्य कार्यक्रम - राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण'' के अंतर्गत ₹807.36 लाख की बचत (₹1170.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के वक्फ बोर्डों से पूरे प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "2235" –"Social Welfare- Other Progarammes – Computerization of records of State Waqf Boards" – saving of ₹807.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1170.00 lakhs) was due to non-receipt of complete proposals from State/Union Territories Waqf Boards.

(IV) मुख्य शीर्ष "3601" - "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - सामान्य - (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण) - अन्य अनुदान" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "अल्पसंख्यकों के लिए व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति" - ₹1212.24 लाख की बचत (₹11982.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) "अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम" - ₹31066.24 लाख की बचत (₹122320.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(गा) "अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति" - ₹622.12 लाख की बचत (₹23450.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(V) मुख्य शीर्ष "3602" - "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - सामान्य - (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण) - अन्य अनुदान" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम" - ₹1151.25 लाख की बचत (₹1200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) "अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति"- ₹249.30 लाख की बचत (₹300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत बचतें कुछ राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से पूरे/पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुईं।

(VI) छह शीर्षों के अंतर्गत ₹490.22 लाख की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक परन्तु ₹100.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 14 प्रतिशत से 95 प्रतिशत तक थीं।

2. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं :-

(I) मुख्य शीर्ष "2225" - "सामान्य" -

(IV) Under Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – General - (Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) - Other Grants"- savings occurred under the following heads:-

(A) "Merit-cum-Means based Scholarship for professional and technical courses for Minorities"– saving of ₹ 1212.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹ 11982.00 lakhs);

(B) "Multi Sectoral Development Programme for Minorities" – saving of ₹31066.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹122320.00 lakhs);

(C) "Post-Matric scholarship for Minorities" – saving of ₹622.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹23450.00 lakhs);

(V) Under Major Head "3602" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - General- (Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) - Other Grants"- savings occurred under the following heads:-

(A) "Multi Sectoral Development Programme for Minorities" – saving of ₹1151.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1200.00 lakhs); and

(B) "Post-Matric scholarship for Minorities" – saving of ₹249.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹300.00 lakhs).

Savings under the above five heads were due to non-receipt of complete/adequate proposals from some State Governments/Union Territories.

(VI) Under six heads savings of ₹490.22 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 14 percent to 95 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(I) Major Head "2225" – "General" –

(का) "स्वैच्छिक संगठनों को सहायता - अल्पसंख्यकों के लिए नि:शुल्क कोचिंग और सहबद्ध स्कीम" - ₹137.32 लाख का अधिक व्यय (₹1300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(A) "Aid to Voluntary Organisations – Free Coaching and Allied Scheme for Minorities" - excess of ₹137.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1300.00 lakhs); and

(खा) "अन्य व्यय - अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति" - ₹300.00 लाख का अधिक व्यय (₹2698.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(B) "Other Expenditure – Maulana Azad National Fellowship for Minority Students" – excess of ₹300.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2698.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष "3601" - "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - सामान्य (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण) - अन्य अनुदान - अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति" - ₹4312.14 लाख का अधिक व्यय (₹40000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) झारखंड, पश्चिम बंगाल, केरल तथा तमिलनाडु की राज्य सरकारों से सहायता अनुदान के लिए अधिक प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुआ।

(II) Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – General - (Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) - Other Grants - Pre-Matric scholarship for Minorities" – excess of ₹4312.14 lakhs (against the sanctioned provision of ₹40000.00 lakhs) was due to receipt of more proposals for Grants-in-aid from State Governments of Jharkhand, West Bengal, Kerala and Tamil Nadu.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

3. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

| शीर्ष | Head | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving - |
|---|---|---|---|---|---|
| मुख्य शीर्ष "4225" अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय | Major Head "4225" Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes | | | | |
| मू. | O. | 10350.00 | 11500.00 | 11500.00 | .. |
| पु. | R. | 1150.00 | | | |

| | | | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees) |
| मुख्य शीर्ष "4552" | Major Head "4552" | | | | | |
| उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय | Capital Outlay on North Eastern Areas | | | | | |
| मू. | O. | 1150.00 | | .. | .. | .. |
| पु. | R. | -1150.00 | | | | |

(I) ₹1150.00 लाख का प्रावधान मुख्य शीर्ष "4552"- "सामान्य (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय) - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम" के अंतर्गत एक मामले में पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹1150.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "4552" – "General – (Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) - Investment in Public Sector and Other Undertakings - National Minorities Development and Finance Corporation"- due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "4225" - "सामान्य - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गईं - ₹1150.00 लाख का अधिक व्यय (₹10350.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "4552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(II) The above savings were offset by excess under Major Head "4225" – "General - Investment in Public Sector and Other Undertakings – National Minorities Development and Finance Corporation"– excess of ₹1150.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10350.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.